

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक- प-2 (77-81) /जविप्रा/2002/ 1504

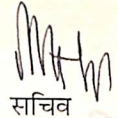
दिनांक 6-3-2002

विषय : जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 81वीं बैठक का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की दिनांक 26.02.2002 को प्रातः 11.00 बजे प्राधिकरण के समिति कक्ष में आयोजित 81वीं बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

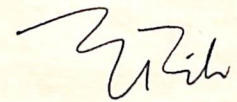
भवदीय,


सचिव

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर।
2. शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
9. पुलिस अधीक्षक, जयपुर।
10. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
11. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
13. निदेशक (अभियांत्रिकी), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14. निदेशक (आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
15. निदेशक (वित्त), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:

1. निदेशक (विधि), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (विशेष रूप से आमंत्रित)
2. अतिरिक्त आयुक्त (भूमि एवं योजनाएं/प्रशासन), जयपुर विकास प्राधिकरण (विशेष रूप से आमंत्रित)
3. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) जविप्रा, जयपुर (विशेष रूप से आमंत्रित)
4. उपायुक्त, जोन, जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ।
5. विशेषाधिकारी जन सम्पर्क, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



उपायुक्त (समन्वय)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक-प-2 (77-81)/जविप्रा/2002/

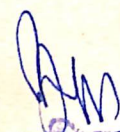
दिनांक -----

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 81 वीं बैठक दिनांक 26.02.2002 का कार्यवाही विवरण।

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 81वीं बैठक दिनांक 26.02.2002 को प्रातः 11.00 बजे श्री जी.एस.सन्धु, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्राधिकरण की समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

बैठक में विचार विमर्श पश्चात एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नांकित विवरणानुसार निर्णय लिये गये :-

- | | |
|----------------------------|--|
| प्रस्ताव संख्या 81.1 | कार्यकारी समिति की 80वीं बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि । |
| पारित प्रस्ताव संख्या 81.1 | कार्यकारी समिति की 80वीं बैठक दिनांक 7.1.2002 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया तथा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई । |
| प्रस्ताव संख्या 81.2 | कार्यकारी समिति की 80वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति की रिपोर्ट। |
| पारित प्रस्ताव संख्या 81.2 | कार्यकारी समिति की 80वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट पर विस्तृत समीक्षा एवं विचार-विमर्श के दौरान निदेशक(अभियांत्रिकी)द्वारा यह |


सचिव

अवगत करवाया गया कि कार्यकारी समिति की 80वीं बैठक में पारित प्रस्ताव सं. 80.6, जो कि रामबाग सिटी लेवल पार्क के विकास से सम्बन्धित है का विकास कार्य जून 2002 तक पूर्ण हो जावेगा । इसी तरह निदेशक(अभियांत्रिकी)ने यह भी अवगत करवाया कि 80वीं कार्यकारी समिति में पारित प्रस्ताव सं. 80.7 जो कि आमेर रोड को जोरावर सिंह गेट से कनक वृन्दावन मन्दिर तक चौड़ी करने के संबंध में था, का कार्य मार्च 2002 में शुरू हो जावेगा तथा यह कार्य सितम्बर 2002 तक पूर्ण कर लिया जावेगा ।

प्रस्ताव संख्या 81.3

Approval for raising of over draft facility for development works for Rs. 5.00 Crores.

पारित प्रस्ताव संख्या 81.3

विचार-विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्ताव के अनुसार फरवरी तथा मार्च 2002 के लिए रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त ओवर ड्राफ्ट की स्वीकृति प्रदान की गई ।

प्रस्ताव संख्या 81.4

Approval of tenders for construction of 1000 EWS houses under Valmiki Ambedkar Avas Yojna (VAMBAY) at Govindpura(Sanganer), Jaipur.

पारित प्रस्ताव संख्या 81.4

विस्तृत विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा बिन्दु में दिये गये प्रस्ताव के अनुसार गोविन्दपुरा(सॉंगानेर) में अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत 1000 आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग आवास निर्माण हेतु मैसर्स गुलशन राय जैन II - राज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (GRJ II-RCC)जयपुर द्वारा BSR 1998 पर आधारित 'जी' शेड्यूल से 5 प्रतिशत कम पर दी गयी निविदा राशि रुपये 4,80,59,793.00 की स्वीकृति प्रदान की गई ।

प्रस्ताव संख्या 81.5

वल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना (VAMBAY) के अन्तर्गत 2000 आवास गृहों के निर्माण हेतु हडको से

पारित प्रस्ताव संख्या 81.5

ऋण प्राप्त करने के संबंध में।

विस्तृत विचार-विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति द्वारा हडको से ऋण प्राप्त करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजने तथा हडको से ऋण अनुबन्ध करने के संबंध में कार्यकारी समिति द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गई :-

1. अपना घर(VAMBAY)योजना के अन्तर्गत 2000 आवास गृहों के निर्माण हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।
2. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण को ऋण अनुबन्धों, मोर्टगेज डीड पर हस्ताक्षर करने, दस्तावेजों पर प्राधिकरण की कामन सील लगाने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाहियाँ पूर्ण करने के लिए अधिकृत किया गया ।
- 3- योजना की कुल राशि व ऋण राशि के अन्तर को प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से पूर्ति करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।
- 4- हडको से ऋण एवं ब्याज की राशि का समय पर पुर्नभुगतान हेतु बजट में समुचित प्रावधान रखने की स्वीकृति प्रदान की गई ।
- 5- उक्त ऋण राशि हेतु आवश्यक हो तो राज्य सरकार से अपेक्षित राजकीय गारण्टी प्राप्त कर हडको को देने के लिए निदेशक(वित्त), जयपुर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया ।
- 6- राज्य सरकार को गारण्टी कमीशन निर्धारित समय एवं दर से भुगतान करने के लिए तथा विफल होने की स्थिति में प्राधिकरण को देय किसी राशि में कटौति करने हेतु राज्य सरकार को सहमति देने


सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

की स्वीकृति प्रदान की गई ।

- 7- योजना क्रियान्विति हेतु प्रशासनिक व्यय के रूप में 5 प्रतिशत के प्रावधान रखने की स्वीकृति प्रदान की गई ।
8. राज्य सरकार के सहयोग से गन्दी / स्लम बस्ती व गरीबों हेतु क्रियान्वयन होने वाली इस योजना में यदि कोई अन्य आवश्यकता होगी तो इसके निर्णय हेतु आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु

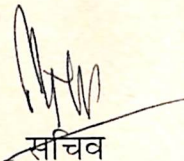
प्रस्ताव संख्या 81.6

Agenda for approval of standard agreement for construction of Road Over Bridges in JDA region.

पारित प्रस्ताव संख्या 81.6

प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु पर विस्तृत विचार-विमर्श पश्चात प्रस्ताव के साथ संलग्न दोनों एग्रीमेंटों के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई । एजेण्डा बिन्दु के साथ संलग्न अनुबन्धों पर प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार की ओर से कलेक्टर, जयपुर को हस्ताक्षर करने के लिए तथा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण को जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए भी अधिकृत किया गया ।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।


सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर ।

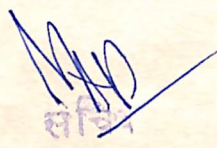

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

परिशिष्ट 'क'

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 81वीं बैठक दिनांक 26.02.2002 को सायं 11.00 बजे समिति कक्ष में जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य/अधिकारी उपस्थित हुये :

क्र. संख्या	नाम सदस्य / अधिकारी	पद व विभाग
1.	श्री जी.एस.सन्धु	जयपुर विकास आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2.	श्री बी.एन.शर्मा	जिला कलक्टर, जयपुर ।
3.	श्री मंजीत सिंह	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
4.	श्री प्रेमसिंह मेहरा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
5.	सुश्री लक्ष्मी बैरवा	कार्यवाहक सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6.	श्री पी.सी.बरडिया	निदेशक(अभियांत्रिकी), जविप्रा, जयपुर।
7.	श्री पी.आर.शर्मा	निदेशक(वित्त), जविप्रा, जयपुर ।
8.	श्री विजेन्द्र झाला	अति.पुलिस अधीक्षक(यातायात), जयपुर । (पुलिस अधीक्षक, जयपुर के प्रतिनिधि)
9.	श्री एस.एल.महिपाल	अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर। (मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि)
10.	श्री भूपेन्द्र कुमार शर्मा	कार्यवाहक निदेशक (विधि) जविप्रा, जयपुर। (विशेष रूप से आमंत्रित)
11.	श्री रणजीत सिंह	मुख्य नियंत्रक(प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर। (विशेष रूप से आमंत्रित)


 सचिव
 जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर